

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक: F5(815)/DOIT/Tech/14/ML-4028


जयपुर, दिनांक: 7/5/18

आदेश

विषय:- विभिन्न राजकीय विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ईग्नू के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम यथा **CIC/CIT/BCA/MCA, RS-CIT and Course on Computer Concept (CCC)** कोर्स इत्यादि के शुल्क पुर्नभरण के संबंध में।

विभागीय आदेश क्रमांक F7(103)/DoIT/Deptt/08/2137 दिनांक 17.09.2008 एवं F8(270)DoIT/Gen/16/I/67109/2017 दिनांक 10.04.2017 द्वारा विभिन्न राजकीय विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित राज्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा किये जा रहे CIC/CIT/BCA/MCA (IGNOU), RS-CIT (RKCL) and Course on Computer Concept (CCC)(NIELIT) के शुल्क पुर्नभरण (वर्तमान एवं लंबित) व प्रोत्साहन राशि का भुगतान तुरन्त प्रभाव से नियमानुसार राज्य कर्मियों के पैतृक विभाग (मुख्यालय संबंधित विभागाध्यक्ष) के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स के लिए विभाग के बजट अथवा कार्यालय व्यय से किया जाना सुनिश्चित करे।

यह आदेश वित्त विभाग के आईडी क्रमांक 171500846 दिनांक 19.08.15 के क्रम में जारी किये गये है। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी है।



(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।



तकनीकी निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव